

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द आहवाय

मु.नं ५७/१७ तारीख नम्बर १२-७-१७

उमवान - सन्तराम बन्नामरकुनाएवंगै  
उलोहरा

आर्चना पत्र अस्थायी निवेद्याजा


आर्ची को उओरके श्री गोविन्द कुमार एवं श्री हेमद्र कुमार  
उर्फ ए.ए.नोकेट ने आर्चना पत्र अस्थायी निवेद्याजा  
पेश किया। जागवन्दी का उपरोक्त किया।  
आर्चना पत्र दर्ज नजिस्टर अर्थात् आर्चना को जेरिये  
नोटिस से तलाव कर दिनांक २५-७-१७ को पेश हो।

३०५६-९०  
१२-७-१५

  
जयदेव आर्द  
उपजिला कलेक्टर

२५-७-१७

आर्ची नवील उपर। नोटिस का प्रकाशित आबनवी। नोटिस  
को न्याय प्रकाशित विधि। नोटिस तलवी दि. १-८-१७  
को पेश हो।

  
जयदेव आर्द  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

आर्ची नवील उपर। नोटिस तलवी दिनांक  
२०-९-१७ को पेश हो।

  
जयदेव आर्द  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

२०-९-१७

आर्ची नवील उपर। नोटिस नं. १,७,३ के नोटिस  
के प्रकाशित आबनवी हैं। नवील न्याय प्रकाशित नोटिस  
तलवी दिनांक दि. २७-१०-१७ को पेश हो।



15-4-19

सुभाष सुनील संतोष अविनाश सुभाष भावलि  
पुणे, 15/4/19 को लिखें।  
दिनांक 15-4-19 को लिखें।  
सुभाष

22-6-19

मलाकली मेरा दुर्ग। प्राचीं पक्षीय उपोदय  
कई बार आगम दिलवाई गई किं न प्राचीं  
पक्षीय सं प्राचीं में ले कोई भी उपोदय  
नहीं है अतः यह प्राचीं का अर्थ  
निवेदाना अरु राजिरी एवं अरु के  
में खरिज किया जाता है पत्राकली के  
दुमर लेका दावा पत्राकली के साथ  
दे।

सुभाष सुनील संतोष  
पुणे (पक्षीय)